न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 41/2012 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00142

उनवान

1. बत्तो पुत्री बूची पत्नी किशन सिंह जाति कुशवाह निवासी पोखरपुर मौनी सिद्ध के पहाड के नीचे धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
2. माया पुत्री बूची पत्नी लक्ष्मन जाति कुशवाह निवासी मोहल्ला गुरूद्वारा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
3. पांचो पुत्री बूची पत्नी गयासीराम जाति कुशवाह निवासी मोहल्ला गुरूद्वारा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर राज0।

........................अपीलांट।

बनाम

1. मवासिया पुत्र बूची जाति कुशवाह निवासी कृपा का पुरा उप तहसील मनियॉ जिला धौलपुर।
2. द्रोपती पत्नी दौजी जाति कुशवाह निवासी कृपा का पुरा उप तहसील मनियॉ जिला धौलपुर।
3. मुन्नी पुत्री दौजी पत्नी बच्चू सिंह जाति कुशवाह नि0 वरैठा की शाला मजरा वरैठा उप तह0 मनियॉ जिला धौलपुर।
4. मु0 किरनदेई पुत्री दौजी पत्नी कल्ला जाति कुशवाह निवासी भागीरथ का पुरा मजरा पचगॉव तहसील व जिला धौलपुर।
5. गुड्डी पुत्री दौजी पत्नी तहसीलदार जाति कुशवाह निवासी भुरा सुन्दर का पुरा मजरा मांगरौल तहसील व जिला धौलपुर।
6. रेवो पुत्री दौजी पत्नी जसवंत जाति कुशवाह निवासी पोखर मौनी सिद्ध के पहाड के नीचे धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
7. ग्यासीराम पुत्र सेखलाल जाति कुशवाह निवासी मोहल्ला गुरूद्वारा तहसील धौलपुर।
8. महाराज सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति वघेला निवासी सकतपुर तहसील व जिला धौलपुर।
9. वासो
10. अजमेरा
11. मुन्ना

(9–11) पिसरान भगवान सिंह जाति बघेला निवासी ग्राम सकतपुर तह0 व जिला धौलपुर।

12. गोपी सिंह पुत्र परसराम जाति वघेला निवासी सकतपुर तहसील धौलपुर।
13. आनन्द कुमार गुप्ता पुत्र नत्थीलाल गुप्ता निवासी शास्त्रीनगर सेक्टर नम्बर 02 धौलपुर।
14. रामसहाय पुत्र उमराव सिंह
15. गोविन्दराम पुत्र वेदरिया

(14–15) जाति लोधा नि0 ग्राम वीलपुर तह0 व जिला धौलपुर।

16. रामवती पत्नी रामस्वरूप जाति कुशवाह निवासी ग्राम महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर।
17. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर।
18. पंजाव नेशनल वैंक द्वारा प्रवन्धक धूलकोट धौलपुर राज0।

.... रेस्पोंडेंट।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, मु0 धौलपुर दिनांक 20.12.11 मि.नं. 129/10 उनवानी बत्तो बनाम दौजी।

अभिभाषकगण :–

1. श्री सुरेश कटारा वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एवं राजेन्द्र सिंह राणा वकील रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय दिनांक–30.03.2022

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कृपा का पुरा तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार बूची पुत्र खूबी थे। बूची का देहान्त अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व हो गया है। बूची की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी पर उसके उत्तराधिकारी पुत्र दौजी, मवासिया पुत्री बत्तो, माया, पांचो पर वहिस्सा बराबर अधिकार प्राप्त हुये एवं मौके पर काविज हुये। परन्तु प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने राजस्व कर्मचारियों से साजिश कर शिजरा गलत अंकित करा कर विरासत नामान्तकरण संख्या 56 ग्राम सकतपुर दिनांक 03.12.1978 को स्वीकार करा लिया और वादीगण/अपीलाण्ट को छुपाकर गलत शिजरा से कपटपूर्वक वेईमानी से विवादित आराजी में निस्फ निस्फ भाग का इंद्राज राजस्व अभिलेख में करा लिया जो गलत और कानूनी अवैध है। उक्त गलत इंद्राजो का लाभ लेते हुये, प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने विवादित आराजी का कुछ भाग जरिये वयनामा प्रतिवादी/रैस्पो0 के हक में कर दिया जो विल्कुल गलत गैर कानूनी अवैध व शून्य विक्रय पत्र हैं। इनसे वादीगण/अपीलाण्ट कतई पावन्द नहीं है एवं ना ही वादीगण/अपीलाण्ट के अधिकारो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पडता है। दिनांक 21.07.2007 को प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने वादीगण/अपीलाण्ट को धमकी दी कि अव तुम्हारा विवादित आराजी में कोई नाम नहीं है इसलिये हम तुम्हें काश्त नहीं करने देंगें। अतः वाद दायर कर विवादित आराजी में प्रत्येक को 1/5–1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विवादित आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स किये जाने तथा प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से विना विचार विमर्श किये खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए वहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काबिल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 01 व 05 का निर्णय साथ–साथ किया है। जिसमें विवादित आराजी बूची का होना व बूची की विरासत में पुत्र व पुत्रियॉं होना स्वीकार किया है। बूची का देहान्त 30 साल पूर्व होना एवं वाद में अंकित किया गया है कि अपीलाण्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है कि बूची का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पूर्व हुआ या बाद में, अतः कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज किया है। जवकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गवाहो ग्यासीराम, सोवरन सिंह, रामसहाय ने 30 साल पूर्व वूची का देहान्त होना स्वीकार किया है। गवाह माया ने बूची की मृत्यु के समय अपनी उम्र 15, 21 साल होना वताया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज करने के लिये मनमाने ढंग से साक्ष्य का सही मूल्यांकन ना करके दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट्स को बूची की पुत्री होना स्वीकार किया है तथा गवाहान ने भी अपीलाण्ट्स को बूची की पुत्री होना स्वीकार किया है तो विवादित आराजी में अपीलाण्ट का हिस्सा है फिर भी तनकी अपीलाण्ट/वादीगण के विरूद्ध तय करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि गवाह माया ने सन् 2010 में अपनी गवाही में अपनी उम्र 70 साल व वूची मरा तव अपनी उम्र 15 वर्ष होना बतायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पूर्व बूची की मृत्यु होना मानकार दावा खारिज किया है जवकि उसने सन् 1953 नहीं बताया एवं ना ही तारीख ही बतायी है। अपीलाण्ट माया एक ग्रामीण परिवेश की वृद्ध महिला है प्रतिपरीक्षा में किया गया कथन पूर्ण स्वीकृति की परिधि में नहीं आता है क्योंकि अपने कथन में अपीलाण्ट माया ने साल व सम्वत नहीं वताया अतः विरोधाभासी कथनों को पूर्ण स्वीकृति का आधार नहीं वनाया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 व 05 का गलत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ नामान्तकरण संख्या 53 व 124 वाके ग्राम सकतपुर प्रस्तुत किया तथा वयनामा बूची पुत्र खूवी जाति काछी निवासी सकतपुर दिनांक 01.10.1974 प्रस्तुत किया है एवं नामान्तकरण संख्या 19 वाके ग्राम सकतपुर दिनांक 20.06.1976 प्रस्तुत किया है। जिसके रिवटल में रैस्पो0 ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वयनामा पर बूची पुत्र खूवी का निशानी अंगूठा जिसकी पहचान नत्थीलाल पुत्र गंगाराम ब्राहम्ण ने की है। वयनामा व नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। वयनामा व

नामान्तकरण से यह स्पष्ट है कि बूची पुत्र खूबी का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद हुआ। अतः सन् 1978 तक बूची पुत्र खूबी जिन्दा था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार पुत्र व पुत्रियो को बराबर का हक प्राप्त है। नामान्तकरण संख्या 56,124 गलत प्रकार से पुत्रो के नाम स्वीकार किये हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट प्रत्येक विवादित आराजी में 1/5–1/5 भाग की खातेदार काश्तकार होती हैं एवं अपने हिस्से से अधिक का वयनामा दौजी व मवसिया ने किया वह स्वतः ही शून्य है क्योंकि अपने हिस्से से अधिक का वयनामा किया है जबकि बंटवारा के दावा में सभी सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है और सहखातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचना नहीं कर सकता। अवैध वयनामा के लिये राजस्व न्यायालय को दावा सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वयनामा को निरस्त सिविल न्यायालय से कराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वयनामा प्रारम्भिक तौर पर ही वॉइड है।अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2011 पेज 330, 2007 पेज 562, 1985 पेज 655, 1998 पेज 478आरबीजे 1996 पेज 171, 2001 पेज 445, 2011 पेज 702, 1997 पेज 404, एआईआर 1994 पेज 227 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि बूची की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व हो चुकी थी। अतः विवादित आराजी में पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार स्व0 खूबी थे। रैस्पो0 अपने जन्म से अर्थात अपने दादा स्व0 खूबी के जीवनकाल से अपने पिता बूची के साथ विवादित आराजीयात में 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार एवं काबिज रहे हैं। विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में दौजी, मवासिया के नाम अंकित थी। उसी विवादित आराजी को प्रतिफल देकर वयनामा कराया है। मौके पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त विवादित आराजी पर ना तो पूर्व में था एंव ना ही वर्तमान में हैं। विवादित आराजीयात को वर्ष 1986 से विक्रय करना शुरू किया जिसका पूर्णतः सम्यक ज्ञान वादीगण/अपीलाण्ट को रहा है उन्होनें कभी भी उक्त वयनामा को विरोध नहीं किया है। वादीगण/अपीलाण्ट ने महज रैस्पो0 को परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही खारिज किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 07 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि वह सद्भावी क्रेतागण हैं। नामान्तकरण हो गया है एवं अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार

उप-खण्ड अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

काश्त कर रहे हैं। उनका पहला वयनामा है। यदि अपीलाण्ट का कोई हिस्सा बनता है तो बाद में किये गये वयनामाओ को शून्य माना जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायलय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित 9 तनकियॉ निर्धारित की हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

7. <u>तनकी संख्या 01 व 05</u> **"आया विवादित आराजीयात के खातेदार बूची थे उनका देहान्त हो चुका है वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उनके उत्तराधिकारी हैं और काबिज रहे हैं"** एवं **"आया बूची का निधन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हक में विधि अनुरूप नामान्तकरण दर्ज हुआ"** उक्त तनकी एक दूसरे की पूरक होने के कारण अधीनस्थ न्यायलय ने एक साथ तय की है। इस तनकी में मुख्य बिन्दु कि क्या विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार बूची था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी विवेचना में विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार बूची का होना एवं बूची के वारिसान में दो लडके दौजी व मवसिया व पुत्रियॉ बत्तो, माया व पांचो का होना माना है। अब प्रश्न रह जाता है कि क्या बूची की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व हो गया। जिस पर प्रतिवादी/रैस्पो0 का कथन रहा है कि बूची का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पूर्व हो गया इसलिये पुत्रियो को अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को तय करने हेतु बयानो का सहारा लिया हैं एवं बयानो में भी केवल मात्र पीडब्ल्यू–1 माया के बयानो के आधार पर बूची की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के पूर्व होना माना जाकर उक्त दोनों तनकी वादीगण/अपीलाण्ट के पक्ष में आंशिक रूप से तय की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अन्य गवाहो के बयानो पर भी विचार किया जाना अपेक्षित था। इसके अलावा पीडब्ल्यू–1 माया ने भी बूची के देहान्त का कोई सन् अथवा तारीख नहीं बतायी है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में किया गया कथन पूर्ण स्वीकृति की परिधि में नहीं आ सकता है। क्योंकि उसने अपने कथनो में साल व संवत नहीं बताया। अतः विरोधाभाषी कथनो को पूर्ण स्वीकृति का आधार नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि आरआरडी 14.05.2011 पेज 330 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। उक्त तथ्य को सिद्ध करने बाबत् हस्तगत अपील में वादीगण/अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ नामान्तकरण संख्या 53 व 124 वाके ग्राम सकतपुर प्रस्तुत किये गये हैं तथा वयनामा बूची पुत्र खूबी जाति काछी दिनांक 01.10.1974, खसरा नम्बर 593 रकवा 01 बीघा 19 विस्वा ग्राम सकतपुर वहक गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री मुन्नीलाल कौम ब्राहम्ण व नामान्तकरण संख्या 19 वाके ग्राम सकतपुर दिनांक 20.06.1976 प्रस्तुत किया गया है। उक्त वयनामा पर बूची पुत्र खूबी का निशानी अंगूठा लगा हुआ है जिसकी पहचान नत्थीलाल पुत्र गंगाराम ब्राहम्ण व नत्थीलाल पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

टीकाराम बघेला निवासी ग्राम सकतपुर ने की है। अतः उपरोक्त वयनामा व नामान्तकरण से स्पष्ट साबित होता है कि बूची पुत्र खूबी का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद में हुआ। उक्त दस्तावेजो के रिवटल में प्रतिवादी/रैस्पो0 का ना तो कोई कथन रहा है एवं ना ही उनके द्वारा कोई रिवटल साक्ष्य ही प्रस्तुत की है। अतः उक्त दस्तावेजो से स्पष्ट साबित हो जाता है कि बूची सन् 1976 तक जीवित रहा। लिहाजा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार विवादित आराजी में पुत्र व पुत्रियो को बराबर का हक है। लिहाजा नामान्तकरण संख्या 56, 124 वाके ग्राम सकतपुर गलत प्रकार से बूची की पुत्रियो को छुपाते हुये, पुत्रो के नाम स्वीकार हुआ है। अतः तनकी पूर्ण रूप से वहक वादीगण/अपीलाण्ट पायी जाती है।

8. <u>तनकी संख्या 02</u> " **आया प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा विरासत के नामान्तकरण में गलत शिजरा दर्ज कर कराये इन्द्राज गलत है एवं उनके द्वारा किये गये विभिन्न वयनामें अवैध व शून्य है इनसे वादीगण के अधिकारो पर कोई प्रभाव नहीं पडता"** जैसा कि तनकी संख्या 01 व 05 की विवेचना में आ चुका है। बूची की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद हुयी एवं बूची का जो विरासतन नामान्तकरण खुला उसमें बूची की पुत्रियो को नहीं बताया गया। जबकि वादीगण/अपीलाण्ट प्रत्येक विवादित आराजी में 1/5–1/5 भाग की खातेदार काश्तकार होती हैं। अतः उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा किये गये वयनामे वादीगण/अपीलाण्ट के हिस्से तक स्वतः ही शून्य माने जावेंगें। तनकी वहक वादीगण/अपीलाण्ट पायी जाती है।

9. <u>तनकी संख्या 03</u>, तनकी संख्या 01, 02, 05 की विवेचना से प्रभावित होती है। चूंकि उपरोक्त तीनों तनकियॉ वादीगण/अपीलाण्ट के पक्ष में पायी गयी हैं। अतः यह तनकी भी वादीगण/अपीलाण्ट के पक्ष में पायी जाती है।

10. <u>तनकी संख्या 04</u> **"आया वादीगण विवादित आराजीयात में 1/5–1/5 भाग के खातेदार घोषित कराने बॅटवारा वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं"** जैसा कि उपरोक्त तनकी विवेचना में आ चुका है। बूची की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के वाद होना प्रमाणित है। अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार वादीगण/अपीलाण्ट स्वयं को विवादित आराजी में 1/5–1/5 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित कराने, विवादित आराजी का विभाजन एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने की हकदार होती हैं। तनकी वहक वादीगण/अपीलाण्ट तय की जाती हैं।

11. <u>तनकी संख्या 06</u> " विभिन्न वयनामो को सक्षम न्यायालयो से निरस्त कराने वावत् है। हम पाते हैं कि वादीगण/अपीलाण्ट ने अपने दावे में मुख्य अनुतोष अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का चाहा गया है, ना कि वयनामो को निरस्त कराने का एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

खातेदारी अधिकारो बाबत् वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयो को ही है। चूंकि विवादित आराजी में वादीगण/अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार पाये गये हैं। अतः उनके हिस्से तक किये गये बयनामा स्वतः ही शून्य माने जावेंगें। उन्हें सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

12. तनकी संख्या 07, 08, उपरोक्त तनकियों की विवेचना से प्रभावित होती हैं। अतः विवेचनाा किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

13. अनुतोष :— समस्त तनकियात का निस्तारण हो चुका है। चूंकि बूची का देहान्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद होना सावित है। लिहाजा वादीगण/अपीलाण्ट प्रत्येक का विवादित आराजीयात में 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

14. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2011 अपास्त किये जाकर, उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, विवादित आराजी का पक्षकारो के मध्य बॅटवारा किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.04.2022 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

15. निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-03-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर